न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 30/2020 (RCMS : 2019/ 00081) अनवान शिशपाल पुत्र श्री बस्तीराम जाति बिश्नोई आयु 65 वर्ष निवासी 10 टी के तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर 2. अध्यक्ष बिश्नोई मन्दिर, रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जरिये राजाराम पूनियां अध्यक्ष बिश्नोई मन्दिर रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

26.08.2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री गुरपीत सिंह सिद्धू एवं अप्रार्थी के अधिवक्त भी उपस्थित है। दोनों पक्षों को सुना गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 54/2008 अनुवानी अध्यक्ष बिश्नोई मन्दिर बनाम शिशपाल में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। चूंकि अब तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसे इसी आधार पर ही खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री गुरप्रीत सिंह का भी कथन है कि चूंकि उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है इसलिए इस मामले में अब वे कोई आगे कार्यवाही नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। अतः इसे इसी आधार पर खारिज कर दिया जाये जो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें दोनों पक्षों तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 54/2008 अनुवानी अध्यक्ष बिश्नोई मन्दिर बनाम शिशपाल में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और नये पीठासन अधिकारी द्वारा दिनांक 22.07.2020 को कार्यग्रहण भी कर लिया गया है। इसलिए यह मुन्तकिली

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है और प्रार्थी अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही भी नहीं चाहता है अर्थात उनके द्वारा इस प्रार्थना पत्र पर नॉट प्रैस किया है। इसलिए इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर